न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 65/2022
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2022/196

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये : भूमिधारी, तहसीलदार पाली		1. मंवरी बेवा सोनाराम के का.मु. 1/1. पेमाराम पुत्र सोनाराम 1/2. ढलाराम पुत्र सोनाराम 1/3. पोलाराम पुत्र सोनाराम कौम राईका सा. डेण्डा

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1973 के नियम 17(4)

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21.10.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1973 के नियम 17(4)के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/4 रकबा 10.04 बीघा भूमि का आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण बाद तामिल वक्त बहस न्यायालय में बार बार आवाजे लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/3 रकबा 91 बीघा 3 बिस्वा में से 10.04 बीघा भूमि उप जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/पी.ए./98/740/ दिनांक 16.05.1998 की पालना में आवंटित हुई व नामान्तरकरण संख्या 1830 दिनांक 18.05.1998 स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी वर्तमान में भी गैर खातेदार दर्ज है। वर्तमान में अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। मूल असेसी खातेदार परबतसिंह द्वारा उप जिला कलक्टर पाली के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर पाली में अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 30.03.2002 द्वारा खारिज की गई। खातेदार परबतसिंह द्वारा उप जिला कलक्टर पाली व जिला कलक्टर महोदय पाली के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो स्वीकार की जाकर उक्त दोनों आदेशों को खारिज किया गया। सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो खारिज की गई एवं उक्त रिट याचिका निर्णय के विरूद्ध राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्रांक प. 3(342) राज–7/2017 जयपुर दिनांक 06.08.2019 द्वारा अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः अब उक्त अधिगृहित भूमि सीलिंग अधिशेष नहीं रह जाने, जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

नहीं होने एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना किये जाने हेतु जैर प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/4 रकबा 10.04 बीघा के आवंटन को निरस्त फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि यह प्रकरण सीलिंग अधिशेष भूमि के आवंटन को निरस्त करवाये जाने हेतु तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैर आवंटन निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार पाली द्वारा जो प्रमुख आधार लिए गए है यह है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अब यह भूमि सीलिंग अधिशेष भूमि ही नही रही है। अतः जैर आवंटन को यथावत रखे जाने का कोई औचित्य नही है तथा राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी का भूमि पर कब्जा नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यहां तहसीलदार पाली द्वारा कुल 09 प्रकरण संख्या 65/2022 लगायत 66/2022 व 68/2022 से 74/2022 तक एक ही प्रकृति के प्रकरण है जिसमे ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/3 रकबा 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाकर वर्ष 1998 में विभिन्न काश्तकारों को आवंटित हुई थी जो अभी भी गैर खातेदारी में दर्ज है। समस्त पत्रावलियों में से पत्रावली संख्या 70/2022 में तहसीलदार पाली द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण होने के कारण विभिन्न न्यायालयों के फैसले समग्र रूप से एक ही पत्रावली में प्रस्तुत किये है। उक्त पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 41/2002 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2002 द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि खातेदार परबतसिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति राजपूत से 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सिलिंग अधिशेष मानी जाकर अधिग्रहित की गयी है, वह विधि विरूद्ध है एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने इस निर्णय में उप ज़िला कलक्टर, पाली का निर्णय दिनांक 16.05.1998 एवं जिला कलक्टर, पाली का आदेश दिनांक 30.03.2002 को निरस्त करते हुए उक्त परबतसिंह की 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सिलिंग अधिशेष घोषित की गयी थी उसे ड्रॉप कर दिया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 17228/2018 दिनांक 29.11.2018 से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट आता है कि राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्रांक प. 3(342) राज–7/2017 जयपुर दिनांक 06.08.2019 के अनुसार रिट याचिका संख्या 17228/2018 दिनांक 29.11.2018 के विरूद्ध आगे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर नही किये जाने का निर्णय लेते हुए जिला कलक्टर पाली को सूचित किया गया है अर्थात् प्रकरण मे यह स्पष्ट होता है कि विवादित 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सीलिंग अधिशेष घोषित की जाकर अप्रार्थी को आवंटित की गयी थी वह भूमि अब सीलिंग अधिशेष भूमि नही रही है अर्थात् जब कोई भूमि सीलिंग अधिशेष भूमि ही नहीं रहीं तो उक्त भूमि का आवंटन किये जाने की विधिकता नहीं है तथा यदि आवंटन कर भी दिया गया है तो उक्त भूमि के सीलिंग अधिशेष नहीं रहने के कारण उक्त आवंटन का कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं रहता। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की राज्य सरकार के अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के निर्णय के बाद उक्त आवंटन की किसी प्रकार से विधिकता शेष नहीं रहती।

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के अनुसार जब भूमि सीलिंग अधिशेष ही नही रही है तो उक्त भूमि के आवंटन को रखे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि सरकार के पास उक्त भूमि को आवंटन की अधिकारिता ही नहीं है। अतएव हम उक्त भूमि को पुनः बिलानाम दर्ज किये जाने को विधि अनुसार कोई त्रुटि नहीं पाते है। अतः हम प्रकरण में तात्विक निर्णय करने के दृष्टिकोण से उक्त

Scanned with ACE Scanner

आवंटन को कदापि विधिक नहीं मान सकते। अतएव जैर आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित आवंटन को निरस्त कर भूमि को कब्जेराज लेकर बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पाली एक माह में पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **21.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Scanned with ACE Scanner